



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 282 राँची, गुरुवार,

18 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 अप्रैल, 2023

विषय : अवमाननावाद सं०-612/2022 सोनी कुमारी बनाम के० रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में दिनांक-15.12.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं०-01/2017 एवं 02/2017 के प्रसंग में कार्मिक विभागीय संकल्प सं०-229, दिनांक-19.01.2022 की कंडिका 4 (ख) के शिथिलीकरण के संबंध में ।

संख्या--14/कोर्ट-02-26/2020 का०- 2442--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा विज्ञापन सं०-01/2017 (नियमित रिक्ति) तथा 02/2017 (बैकलॉग रिक्ति) द्वारा इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 संबंधी विज्ञापन विज्ञापित किया गया, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 से आच्छादित है ।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गयाः

“इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के 13 जिलों यथा-साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ के मात्र स्थानीय निवासी ही इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।”

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गयाः

“राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक- 14.07.2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक-01.06.2018 में जहाँ कहीं भी “वर्ग 3 एवं वर्ग 4” अथवा “तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी” शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे “ ‘समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग’ एवं ‘समूह घ’ ” से प्रतिस्थापित किया जाय ।”

4. विदित है कि WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूपवादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक-14.07.2016 एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक-21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:-

“57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed.”

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालनार्थ दिनांक-03.02.2021 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-32 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-229, दिनांक-19.01.2022 द्वारा अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 को तत्काल प्रभाव से आहरित करते हुए निम्नवत् निर्णय संसूचित किया गया है:-

“इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह ‘ख’ अराजपत्रित, समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016 (संकल्प सं०-8468, दिनांक-20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाय। तदनुसार अब नए सिरे से **(ab-initio)** विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।”

6. तदनुसार विभागीय पत्रांक-253, दिनांक-19.01.2022 द्वारा विभागीय संकल्प सं०-229, दिनांक-19.01.2022 की प्रति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को संबंधित विज्ञापनों के संदर्भ में यथोचित कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गयी। आयोग के पत्रांक-563, दिनांक-26.05.2022 द्वारा विज्ञापन सं०-01/2017 तथा 02/2017 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुष्मिता मंडल एवं अन्य की याचिका सुनवाई के पश्चात् आदेश पर लंबित होने की सूचना दी गयी तथा आयोग द्वारा अंतिम न्यायादेश की प्रतीक्षा किये जाने की सूचना दी गयी।

7. दिनांक-02.08.2022 को सिविल अपील सं०-4038/2022 तथा संलग्नवादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसमें पंचायत सचिव संबंधी विज्ञापन सं०-01/2017 तथा 02/2017 के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं रहने के कारण सरकार की ओर से Clarificatory/Interlocutory Application दायर किया गया। अवमाननावाद सं०-612/2022 तथा संलग्न अवमाननावादों में दिनांक-15.12.2022 को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं०-01/2017 तथा 02/2017 के संबंध में निम्नवत न्यायादेश पारित किया गया है:-

"Though the decision of this Court in Civil Appeal No. 4038 of 2022 and other connected matters was with respect to the Teachers, it is clarified that the said ratio shall be applicable with respect to the appointments for the posts in question, namely, (1) Lower Divisional Clerks (Collected cadre, District Level posts), (2) Panchayat Secretary, District Level Post, (3) Lower Divisional Clerks-State Level Post and (4) State Stenographer- State level post. Therefore, it is clarified that the State has to prepare the State-wise, Category-wise, Service-wise merit list followed by allocation of districts for post(s) in the District Cadre through counselling in order of merit for the posts mentioned in advertisement No. 1 and 2 of 2017 and the process of appointment be made in accordance with law and on its own merits.

However, the earlier bar with respect to the scheduled area candidates only shall not be applied. Therefore, there shall not be any impediment in proceeding further with the recruitment/appointment, pursuant to the aforesaid advertisement Nos. 1 & 2 of 2017.

With this, the present applications stand disposed of.”

8. सम्यक् विचारोपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 संबंधी विज्ञापन सं०-01/2017 तथा 02/2017 मात्र के प्रसंग में परीक्षाफल प्रकाशन हेतु विभागीय संकल्प सं०-229, दिनांक-19.01.2022 की कंडिका 4(ख) को शिथिल किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
